



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 571/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 571/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- दिनांक 20.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस के द्वारा खेकड़ा-बागपत रोड़ से ग्राम बन्दपुर रोड़ पर चैकिंग की जा रही थी, दौराने चैकिंग थाना पुलिस के द्वारा एक वाहन महेन्द्रा गुड्स कैरियर (छोटा हाथी) नं0 DL1LY7679 तथा एक मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0 DL7SCA7685 तथा करीब 02 कुंतल गोमांस व गोवंशीय पशु के अवशेष बरामद हुआ था तथा 04 अज्ञात अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 571/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान 04 अभियुक्त 1- नावेद पुत्र मुन्ने खान निवासी गली नं0 50 जामनाबाद थाना जामनाबाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली, 2 आनिर पुत्र रियाजुद्दीन निवासी

ग्राम काठा थाना व जिला बागपत, 3-शहजाद पुत्र नूरमौहम्मद उर्फ नूरा निवासी मौहल्ला माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत व 4- शहजाद के साथी नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नावेद पुत्र मुन्ने खान निवासी गली न0-50 जाफराबाद थाना जाफराबाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।
2. आमिर पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 447 राम कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 254/2025 धारा 352/115(2)/351(2) बी0एन0एस0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- राजेन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत, 2- लोकिन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत, 3- रिकू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत व 4- रवि पुत्र लोकिन्द्र



निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा आवेदिका के पुत्रगण 1- सागर राठी व 2- शिवम राठी के साथ गाली-गलौच करना, मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 254/2025 धारा 352/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 254/2025 धारा 352/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेडकी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 48 वर्ष ।

2.रवि पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम खेडकी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष
।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अंकित कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-है०का० 632 विनोद भाटी थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-का० 114 अमित कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

